[श्री नागेश्वर प्रसाद शाही]

भंडार है, अभी तक सरकार यह पता नहीं लगा पाई है कि यह धन का भंडार कहां से आ रहा है। इस तरह से खुले आम हिंसा करने वाला दल जो हमारी विदेशी सेवाओं को करिप्पल कर देना चाहता है उनके मनोबल को तोड़ देना चाहता है और केवल उन्हीं लोगों पर ही नहीं बल्कि विदेशी सेवाओं के परिवारों पर भी हमला कर रहा है ऐसे दल पर बंदिश लगाने में या बंदिश की बात करने में मंत्री महोदय को क्या दिक्कत हो रही है ? जो दल और जो संगठन हिंसा का प्रचार कर रहा है, प्रचार ही नहीं कर रहा है बल्कि हिंसा कर रहा है ऐसे संगठन पर बंदिश लगाना क्या राष्ट्रीय हित में नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस तरह की हिंसक घटनाओं को और ऐसे विचार रखने वाले लोगों को समाप्त करने के लिए क्या सरकार इस संगठन पर बंदिश लगाने की बात सोचेगी ताकि उनके कार्यकलाप कम से कम इस देश में समाप्त हों चाहे बाहर जो कुछ होता रहे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उप-सभापति महोदय, मैं विदेश मंत्री के नाते प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। यह प्रश्न मेरे मंत्रालय से सीधा सम्बन्धित नहीं है।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : नहीं श्रीमन्, आपका मंत्रालय सुझाव दे सकता है और आप एक मंत्री की हैसियत से कैबिनेट में सुझाव रख सकतें हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह रचनात्मक दृष्टिकोण है, इसका मैं स्वागत करता हूं। मैं सुझाव दे सकता हूं और मैं यह भी कह सकता हूं कि सुझाव हमारे माननीय शाही जी की तरफ से आया है लेकिन मैं तत्काल इसका उत्तर नहीं दे सकता।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This discussion is closed.

LEAVE OF ABSENCE TO DR. V. B. SINGH

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I want to inform Members that a letter dated the 17th October, 1977, has been received from Dr. V. B. Singh, an extract of which is as follows:—

> "On October 24, I am flying to France under the Cultural Programme sponsored by the University Grants Commission and shall be back some time in December. Therefore, I request you, and through you, the House, that I may kindly be granted leave of absence from the coming session of the Rajya Sabha."

Is it the pleasure of the House that permission be granted to Dr. V. B. Singh for remaining absent from all meetings of the House during the current session?

(No hon. Member dissented)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

STATEMENT BY MINISTER

Appointment of National Police Commission

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): Sir, far-reaching changes have taken place in the country after the enactment of the Indian Police Act, 1861, and the setting up of the Second Police Commission of 1902, particularly during the last thirty years of Independence. Though a number of States have appointed Police Commissions after Independence to study

the problems of the Police in their respective States, there has been no comprehensive review at the national level of the police system after independence despite radical changes in the political, social and economic situation in the country. A fresh examination is necessary of the role and performance of the police—both as a law enforcement agency, and as an institution to protect the rights of the citizens enshrined in the Constitution.

It has been decided, therefore, to set up a National Police Commission to examine all the major issues of *eta* all-India character pertaining to Police administration in the country and to suggest measures for implementation as would not only enhance its functional efficiency but would also transform it into an instrument of public service. Since the Commission is to be set up at the National level, it is felt that the terms of reference should embrace only such items as would have a bearing on the broad sweep of police ad-ministration in the country and not include items which are of local or regional interest. At the same time, care has to be taken to ensure that the proposed National Police Commission does not become a forum to examine issues which have a financial bearing like pay scales and conditions of service of police personnel, determiliation of which are conditioned by local factors and no review at the national level is possible. Exclusion of such items having a financial bearing would also help avoid possible heavy financial repercussions, which the States may not be able to bear.

Since Police and public order are subjects in the State List, any review of the working of the police at the national level would be meaningful only if the State Governments are prepared to participate and wholeheartedly implement the recommendations of such a review. All the State Governments Union Territories were, therefore, suitably addressed in the matter and the States/UTs who have replied so far (Kerala, Sikkim. Tamil Nadu, Tripura, U.P., Orissa, West Bengal, Manipur, Haryana, Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Rajasthan, Punjab, Bihar, Maharashtra, Madhya Pradesh, Arunachal Pradesh, Andaman & Nicobar Administration, Chandigarh, Pondicherry) have welcomed the suggestion to set up the National Police Ccmmission without exception. Replies from other States and Union Territories are awaited.

The National Police Commission will have the following composition:—

(i) ShriDharamvira (retired Governor)	Chairman
(ii) Shri N. K. Reddy (retired Judge, Madras High Court)	Member
(iii) Shri K. F. Rustamji (ex-IGP, Madhya Pradesh and ex-special Secretary, Home Ministry)	Member
(iv) Shri N. S. Saksena (ex-IGP, UP and ex-DG, CRP and at present Member, UPSC)	Member
(v) Prof. M.S. Gore, Professor, Tata Institute of Social Sciences, Bombay	Member
(vi) Shri C. V. Narasimhan, presently Director, CBI.	full-time Member-Secretary of the Commission (on relief from his present post).

The terms of reference of the Commission are as indicated in Annexure.

Annexure

Terms of reference of the National Police Commission

(1) Re-define the role, duties, powers and responsibilities of the Police with special reference to pre-

[Shri Dhanik Lai Mandal]

vention and control of crime and maintenance of public order.

(2) Examine the development of the principles underlying the present policing system, including the method of magesterial Supervision, evaluate the performance of the system, identify the basic weaknesses or inadequacies, and suggest appropriate changes in the system and the basic laws governing the system.

(3) Examine, if any changes are necessary in the existing method of administration, disciplinary control and accountability.

(4) Inquire into the system of investigation and prosecution, the reasons for delay, and failure; the use of improper methods, and the extent of their prevalence; and suggest how the system may be modified or changed, and made efficient, scientific and consistent with human dignity; and how the related laws may he suitably amended.

(5) Examine methods of maintaining crime records and statistics and suggest methods for making them uniform and systematic.

(6) Review policing in rural areas, evaluate any new arrangement that have been made, and recommend changes that are necessary.

(7) Examine the system of policing required in non-rural and urbanised areas including metropolitan areas and suggest the pattern that would be the most suitable.

(&) Examine the steps taken for modernising law enforcement, evaluate the work of police communications, the computer net-work, scientific laboratories and agencies for research and development, and examine whether modernisation can be speeded up, examine to what extent, as a result of the modernisation of Police forces, streamlining of its functions and its re-structuring, it would be possible to economise in the man-power in the various areas of its activities.

(9) Examine the nature and extent of the special responsibilities of the Police towards the weaker sections of the community and suggest steps to ensure prompt action on their com plaints for the safeguard of their right and interests.

(10) Recommend measures and ins titutional arrangements:—

(i) to prevent misuse of powers by the Police, and to examine whether police behaviour, outlook, responsiveness and impartiality are maintained at the correct level and if not the steps such as recruitment and training which should be taken to improve them;

(ii) to prevent misuse of the Police by administrative or executive instructions, political or other pressure, or oral orders of any type, which are contrary to law;

(iii) for the quick and impartial inquiry of public complaints made against the Police about any misuse of police powers;

(iv) for the quick redressal of grievances of police personnel and to look after their morale and welfare; and

(v) for a periodic objective evaluation of police performance in a metropolitan areay District|State in a manner which will carry credibility before the public.

(11) Examine the manner and ex tent to which Police can enlist ready and willing cooperation of the public in the discharge of their social de fence and law enforcement duties and suggest measures regarding the insti tutional arrangements t_0 secure such cooperation and measures for the growth of healthy and friendly Pub lic-Police relationship.

(12) Examine the methods of police training, development, and career-planning of officers and recommend

any changes that are required at any time in their service, to modernise the outlook, and to make the leadership of the force effective and morally strong.

(13) Examine the nature of the problems that the police will have to face in the future, and suggest the measures necessary for dealing with them, and for keeping them under continuous study and appraisal.

(14) Consider and make recommendations and suggestions regarding any other matter which the Government may refer to the Commission; and

(15) Any other matter of relevance or importance having an impact on the subject.

1 P.M.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अब तक की परम्परा सरकार की यह रही है कि सरकार की ओर से जब इस प्रकार की नीति संबंधी या महत्वपूर्ण घोषणा हो और सदन चल रहा हो तो पहले इस सदन में घोषणा की जाती है। लेकिन जिस पुलिस कमीशन की घोषणा यहां की गयी है आज प्रात: काल के समाचार पत्रों में इसका पूरा विवरण है कि श्री धर्मवीर जी की अध्यक्षता में यह बनाया जा रहा है। तो आप सरकार को चेतावनी दीजिए कि इतना महत्वपूर्ण कमीशन बनने जा रहा है, सदन चल रहा है और संसद में आने के पहले यह सूचना पत्रों में कैसे चली गई, कैसे ये सूचनाएं लीक आऊट हो जाती हैं, इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए।

SHRI KHURSHED ALAM KHAN (Delhi): Sir, apart from the fact that an important Commission has been set up, nothing has been mentioned in the terms of reference about the recruitment policy. The recruitment policy of the police is also very important and this item must also be included. Besides this, Sir, there is no representation of the minorities on the Commission which is a very sad commentary on the working of this Government.

SHRI L. R. NAIK (Karnataka): Sir, I also suggest that there should be a representative of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Commission against whom several atrocities are being committed and about which this House discussed at length.

श्री गुणानन्द ठाकुर (बिहार) : यह एक अच्छी बात है कि बहुत दिनों के बाद सरकार ने महसूस किया कि पुलिस में सुधार लाने के लिए या कहिए तो एक नये ढांचे का निर्माण करने के लिए इसके कमीशन का गठन किया है। लेकिन इस कमीशन के पीछें जब देखा जाय, जैसा मंत्री जी नें कहा एक तो पहले ही भूल हुई कि सारी बातों का जिक्र अखबार में आया और पहले ही सब कुछ कर दिया। खैर, वह भी जानें दीजिए, लेकिन इसके बाद भी टर्म्स आफ रिफरेंस जो दिया गया उससे तो लगता है कि कुछ नहीं है, यह तो एक सिर्फ भूल भुलैया है कुछ रिटायर्ड को काम देने के लिए इन्होंनें बैठा दिया और कहने के लिए कि देश में सुधार करने जा रहे हैं। कोई पुलिस का आदमी इसमें नहीं है, कोई पुलिस लीडर नहीं है, कोई रिप्रेजेन्टेटिव नहीं है. . . (*Interruption*) जसा कहा गया. .सुनिये. . .इसलिए कि आप कहते हैं कि पुलिस का क्या अर्थ। बड़े आफिसर नहीं मेरे कहनें का मतलब सिपाहियों से, कर्मचारियों से, दबे कुचले लोगों से है (*Interruptions*) लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसे लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए कि जो शोषित रहा है, पीड़ित रहा है, पुलिस का आदमी, जो छोटा कर्मचारी है, वह पीड़ित रहा है। इस संबंध में मैं दो-तीन उदाहरण देना चाहूंगा। खोसला कमीशन ने जो रिकमेण्ड किया वह अभी तक इम्प्लीमेन्ट नहीं हो सका और पुलिस में जो महिला वर्ग है उसको उचित स्थान नहीं

[श्री गुणानन्द ठाकुर]

मिल सका। आजादी के बाद भी हरिजन और आदिवासियों की बात छोड़ दीजिए— उस बेचारे को तो कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला और जब महिला पुलिस का इंतजाम किया गया तो उसमें भी महिला पुलिस को कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा उप-सभापति जी, आपके जरिए कि जब यह स्वागत योग्य कदम है तो इसके टर्म्स आफ रेफरेंस को कुछ और विस्तृत होना चाहिए, ब्रौड होना चाहिए, और इसमें कुचले हुए, दबे हुए, तबकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो सही मानों में पुलिस की भावना का प्रतिनिधित्व कर सकें नहीं तो फिर वही बड़े बड़े आफिसर, वही लोग जिन लोगों ने आज तक आधिपत्य जमाया है फिर उसी तरह की रिकमेंडेशन देंगे। इससे सही मानों में गरीब पुलिस कर्मचारियों का भला नहीं हो सकता है।

श्री जगदीश जोशी (मध्य प्रदेश): इसमें रामानन्द तिवारी का नाम आना चाहिए।

श्री गुणानन्द ठाकुर: तो मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इस संबंध में फिर से सोचें और टर्म्स आफ रेफरेन्स को कुछ ब्राडर करें। मुझे-बड़ी खुशी हुई थी जब माननीय गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि इस कमीशन के अध्यक्ष होंगें कोई बिरोधी दल के नेता। मुझे लगा था कि कुछ सहयोग विरोधी दल का भी सरकार चाहती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे शायद रिटायर्ड लोगों को बैठा कर एक दो साल पेन्शन-भत्ता देगी और फिर वही पुराना हिसाब किताब देख कर रिपोर्ट दे देगी कि पढ़िये सब लोग। छोटे कर्मचारियों का तो कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इसके टर्म्स आफ रेफरेन्स को ब्राड किया जाए और सही मानों में पब्लिक रेप्रेजेन्टेटिव्स को रखा जाए जिन्हें पुलिस की वर्किंग का ज्ञान हो।

श्री रामानन्द यादव (बिहार): उप-सभापति महोदय, पुलिस कमीशन का निर्माण हुआ है पुलिस विभाग में सुधार लाने के लिए, उनके सर्विस नियमों में परिवर्तन और परिवर्धन लाने के लिए। हमारे स्टेट मिनिस्टर पुलिस विभाग, बहुत दक्ष व्यक्ति हैं, समझदार हैं, और शासन का अनुभव भी उनको थोड़ा बहुत है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस व्यक्ति को इन्होंने चैयरमैन बनाया है, उनके पिछले आचरण के संबंध में कोई छानबीन नहीं किया है। मैं तो उनसे *आग्रह करूंगा कि व्यक्ति के आचरण के* संबंध में पहले जांच करनी चाहिए। चेयरमैन और फिर उसके जो मेम्बरान बनाए गए हैं उनके आचरण के संबंध में पूरी जांच करनी चाहिए। अगर वे रिटायर्ड हैं तो उनकी सर्विस का जो पिछला रिकार्ड है उसको देख कर नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि अपने ही खुद करप्ट रहेंगे तो पुलिस विभाग में क्या सुधार लाएंगे। क्या वे उनकी सर्विस कंडीशन में सुधार करेंगे। विभिन्न पार्टियों और जनता पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की सीमा बढ़ते हुए देख कर दंग रह गई, पोलिटिकल पार्टी के लोग कहते हैं इस विभाग में जितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है शायद किसी और विभाग में नहीं है। फिर भ्रष्ट लोग ही उस कमीशन के अध्यक्ष हों, मेम्बर हो जाएं, तो सुधार हो गया इस विभाग का। मैं स्टेट मिनिस्टर साहब से आग्रह करूंगा कि जो व्यक्ति पुलिस कमीशन में नियुक्त हुए हैं उनके आचरण के संबंध में पूरी जांच होनी चाहिए। और मैं सदन के उन भाइयों के साथ सहमत हूं कि हरिजनों का, आदि-वासियों का और महिलाओं का तथा पार्लिया-मेन्ट के मेम्बरों का प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए। मैं देखता हूं हमारे धनिक लाल मंडल जी जो मिनिस्टर हैं, पिछड़ी जाति के हैं, और पिछड़ी जाति का ढोल पीट पीट कर,

उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा कर लोक सभा के सदस्य चुने गए हैं, लेकिन उन्होंने पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति उस कमीशन में नहीं रखा है। मैं कहूंगा एक तो आप पिछड़े वर्ग के हैं, और पिछड़े वर्ग की सुविधा के लिए आंसू बहा-बहा कर आप लोक सभा के सदस्य बने हैं लेकिन जब कमीशन का निमार्ण हुआ तो आपने पिछड़े वर्ग के हित को नहीं सोचा और सब से ज्यादा पुलिस विभाग जुल्म करता है तो हरिजनों पर आदिवासियों पर और पिछड़ी जातियों पर करता है । कुचले हुए लोगों पर और गरीब तबके पर जुल्म करता है और इसलिये इसमें उस तबके का प्रतिनिधित्व जरूर होना चाहिए । जो लोग सबसे ज्यादा तग किये जाते हैं उनका प्रतिनिधि कोई नहीं है । उसमें प्रतिनिधि हैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स के जो पुलिस विभाग के हैं । उनसे आप क्या आशा करते हैं । क्या लोक सभा के या राज्य सभा के या अन्य पोलिटिकल यार्टीज के प्रतिनिधि इस योग्य नहीं थे ? क्या पुलिस विभाग के सम्बन्ध में उनकी योग्यता को आप नहीं जानते ? क्या आप भूल गये हैं श्री रामानन्द तिवारी को। हो सकता है कि आपके कुछ पोलिटिकल डिफरेंसेज हों, लेकिन रामानन्द तिवारी, जिसने पुलिस विभाग के हर नियम और कानून का अध्ययन किया है, जो पुलिस विभाग में रह चुका है, जो उनके हकों के लिये बराबर लड़ रहा है, जिसने पुलिस मैनुअल का सुधार करने में अपना सारा समय गंवाया है उसको भी क्या आप इस कमेटी में रखने के योग्य नहीं समझते । रामानन्द तिवारी आप की पार्टी के हैं। उनको आप उस कमेटी में रखिये । ऐसा होता तो अच्छा होता और हम समझते कि एक व्यवित जन प्रतिनिधियों का उसमें है । और इसलिये मैं कहूंगा कि सदन की भावनाओं को मद्दनजर रखते हुए जो सुझाव दिये गये हैं उन पर आप गौर कीजिए, यही हमारी प्रार्थना है ।

SHRIMATI SUSHILA SHANKAR ADIVAREKAR (Maharashtra): I would like to bring to the notice of the Government that there should be a woman representative also on this Commission. Now that we are having a women police force and every day we come across atrocities against women, I feel that a woman representative should also be there on this Commission.

श्री हर्षदेव मालवीय (उत्तर प्रदेश) : मैं कहना चाहता हूं कि इस जनता सरकार के एक रुझान पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जितने घिसे पिटे और खूसट—मुझे क्षमा कीजिये, जितने रिटायर्ड आदमी थे, धर्मवीर और बी० शंकर, आदि जो 70 और 80 की आयु को पहुंच रहे हैं उनको इसमें रखा गया है । वह तो खाये, पिये और खुश रहे । उनको काहे को इसमें रखा गया है ? यह तो वह लोग हैं कि जिन्होंने अंग्रेजी जमाने में हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचला है और ऐसे लोगों को आप पुलिस कमीशन का चेयरमैन बनाते हैं तो उससे मुझे बड़ा दु:ख होता है। यह बड़े दु:ख की बात है । मैं कहना चाहता हूं, कि इस में जितने लोग हैं, पूरे सब के नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जितने दो, चार नाम मुझे याद हैं वह सब पुराने घिसे पिटे पुलिस आफिसर्स है जो बराबर जनता पर अत्याचार करते रहे हैं और पुलिस में जो भ्रष्टाचार चलता रहा है उसके लिये जिम्मेदार हैं । उनको ही आपने इसका अध्यक्ष और मेम्बर बना दिया। यह कमेटी बहुत गलत किस्म की कमेटी है। इस में पहली बात तो माइनारिटीज के आदमी भी होने चाहिएं। यह बड़ी शिकायत है लोगों की कि पुलिस विभाग में माइनारिटीज वाले नहीं लिये जाते और पुलिस माइनारिटीज पर अत्याचार करती है। अक्सर यह शिकायत सुनाई पड़ती है। तो इस में माइनारिटीज को होना चाहिए और इस में महिलाओं के और बैकवर्ड क्लास के प्रतिनिधि होने चाहिए, हरिजनों को होना चाहिए। फिर क्या संसद में जो लोग बैठे

[श्री हर्षदेव मालवीय]

उन में से किसी को आप रखिये । हरिजनों का कोई आदमी आप ने नहीं रखा। कम से कम रामानन्द तिवारी को, जिन के बारे में बड़ी चर्चा है, उन को रखिये। वे कांस्टेबिल थे। उन्होंने संघर्ष किया और फिर इस पद पर पहुंचे, कम से कम आप उन को इसमें रखिये। यह कमीशन बहुत गलत है और हम आप से निवेदन करते हैं, मण्डल जी से और मन्त्रिमण्डल से और सरकार से कि वह इस पर पुनः विचार करे और आप पुराने लोगों को, धर्मवीर और बी० शंकर जैसे लोगों को छोड़िये। बहुत हो गया। अब वह खायें-पियें और खुश रहें। वरना वही पुरानी नौकरशाही अंग्रेजी जमाने की जो रफ्तार थी वही चलती रहेगी और देश का भला नहीं होगा।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश): मेरा सुझाव है कि श्री धर्मवीर की जगह श्री रामानन्द तिवारी को इस का चेयरमैन बना दिया जाय।

SHRI K. K. MADHAVAN (Kerala): From the composition of the proposed Commission, it seems that the Government are still considering that they should keep away the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes as untouchables from this Commission.

श्रीमती सविता बहिन (दिल्ली): उपसभापति महोदय, मैं अर्ज करना चाहती थी कि यह कमीशन बनाने का मतलब यह है कि इस मे पुलिस विभाग में कुछ सुधार आयेगा तो इस में जिन लोगों को रखा गया है वह बहुत पुराने लोग हैं। उन के अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन को कुछ सुधार करने का तजुर्बा है और जिन को पुलिस में काम करने का एक्सपीरियेंस है। कोई सामाजिक संस्थाओं में रहने का तजुर्बा है, इन बातों को और बहुत सारी बातों को कंसल्टेटिव कमेटी में या एक कमेटी में डिस्कशन के बाद उनके ऊपर विचार हुआ था और यह कहा था कि जो रोज अत्याचार होते हैं उनका जल्दी से फैसला किया जाए, उनके प्रति कुछ न्याय किया जाए, सही तरीके से फैसले हों, इस तरह का कमीशन बने कि पुलिस अच्छी तरह से काम कर सके और न्यायपूर्वक तरीके से काम कर सके। लेकिन इससे तो ऐसा लगता है कि एक करप्शन का डिपार्टमेंट और इस तरह का बना कर रख दिया जाएगा। पुलिस से आगे ही लोग बहुत परेशान होते हैं, अच्छा काम व भले ही करते हों, लेकिन छोटे छोटे लोगों को जो रिश्वतें देनी पड़ती हैं, छोटे छोटे कामों के लिए और जो अत्याचार बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिलता है और यह कमीशन यहां बैठ कर इसी तरह के इन व्यक्तियों को उसमें बैठा कर फैसले कर दें तो मैं समझती हूं कि एक और गलत तरीके का ढांचा हम पुलिस के साथ और जोड़ देंगे और देश में और ज्यादा अत्याचार होंगे। इसलिए इसको मन्त्री महोदय वापस ले जायं और हाऊस के विचारों को सामने रखते हुए दुबारा सोच कर, दुबारा कमेटी बना कर, तजुर्बेकार लोगों को जो देश में सेवा और त्याग का व्रत लेते हैं, तजुर्बेकार पुलिस के लोगों को जो सेवा का भाव रखते हैं, कुछ उसमें मदद कर सकते हैं और पुलिस के काम करने में मदद कर सकते हैं और आपकी जो कठिनाइयां हैं, लोगों की जो कठिनाइयां हैं उनको दूर कर सकें, ऐसा कमीशन मन्त्री महोदय बना कर लायें तो हम उसका स्वागत करेंगे पूरी तरह से यहां पर पास करेंगे। लेकिन इस तरह का कमीशन केवल मात्र अपने लोगों को, पोलिटिकल लोगों को एडजस्ट करने के लिए, अकोमोडेट करने के लिए और जगह जगह बैठा देने के लिए बनाते हैं तो इस तरह का कमीशन काबिले एतराज है।